ब्लड बैंक टेक्नीशियन ने समझा मरीज का दर्द

कोटा, (निसं)। टीम जीवनदाता द्वारा लोगों की सेवा का क्रम निरंतर जारी है। लोगों को समय रहते एसडीपी उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसे में निजी अस्पताल में भर्ती शोयब अकरम की प्लेटलेट निरंतर कम होती जा रही थी, ओ पॉजिटिव एसडीपी की आवश्यकता चिकित्सकोंने बताई तो परिजन अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे और ओ पॉजिटिव एसडीपी के लिए कहा। टीम जीवनदाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि उन्होंने कई जगह कॉल किया लेकिन त्यौहारी सीजन होने के कारण लोग व्यस्त रहे, ऐसे में सभी प्रक्रिया को वहां उपस्थित टेक्नीशियन रविंद्र मालव देख रहे थे, कुछ दिन पहले ही रविंद्र ने एसडीपी डोनेट की थी, लेकिन जब मरीज का दर्द देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एसडीपी डोनेशन के लिए अपनी सहमति दी। सभी टेस्ट सही होने पर उन्होंने 21वीं बार एसडीपी डोनेट की है और इससे पूर्व वह 11 बार रक्तदान कर चुके हैं। उनके पिता गौरीशंकर मालव एवं भाई राजेंद्र मालव भी रक्तदान के क्षेत्र में लोगों की निरंतर सेवा करते हैं। रविन्द्र का कहना है हमे इस रूप में देशभक्ति की मिसाल पेश करना चाहिए जिसने देशवासियों की जिंदगी की रक्षा में रक्तवीर बनकर खुद को साबित कर सके।

मावा, मलाईबर्फी के सैम्पल लिए

झालावाड़ । विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामठी उपलब्ध करवाने के राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में कमिश्नर फूड एंड ड्रग के निर्देश पर संपूर्ण राज्य में शुद्ध आहार. मिलावट पर वार अभियान प्रारंभ किया गया है। झालावाड़ जिले में कलक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देशन में तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साजिद खान के नेतृत्व में शुद्ध आहार - मिलावट पर वार अभियान दीपावली अभियान में जिले में विभिन्न स्थानों से लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मावा, मवा बर्फ, मलाई बर्फ, दूध, बेसन, मसालों, नमकीन, रसगुल्ला एवं अन्य खाद्य सामठी के सैम्पल लिए जा रहे है।

'झूठी व भ्रामक पोस्ट न डाले'

बूंदी। सोशल मीडिया के समस्त प्लेटफॉर्म एवं ठ्ग्प्स पर बूंदी पुलिस की निगरानी बनी हुई हैं। मंगलवार को बूंदी पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए बिना सच्चाई जाने अफवाह फैलाने वाली किसी भी पोस्ट व वीडियो को फॉरवर्ड करने से बचने और सोशल मीडिया पर झूठी व भ्रामक पोस्ट व खबरें नहीं डालने को लेकर एडवाइजरी जारी की। गौरतलब है कि पिछले दिनों घटित घटनाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों द्वारा झूठी और तथ्यहीन खबरों सहित अपवाह फैला कर माहौल को दूषित किया जा रहा था।

जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने समस्त जिलेवासियों से अपील जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी व भ्रामक पोस्ट नही डाले सोशल मीडिया पर बून्दी पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। अत: बिना सच्चाई जाने अफवाह फैलाने वाली किसी भी पोस्ट व वीडियो को फॉरवर्ड ना करे व अफवाहों से बचें।

केन्द्र, राज्य सरकार व कोटा सरस डेयरी की योजनाओं से पशुपालकों किया अवगत

कोटा, (निसं)। कोटा सरस डेयरी से जुड़ी समितियों के प्रोत्साहन व उनकी उन्नति के लिए कोटा-बूंदी दूध उत्पादक संघ सदैव प्रत्यनशील रहता है। समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाओं और संघ के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है। यह बात कोटा-बूंदी दूध उत्पादक संघ के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने बूंदी जिले के नमाना मार्ग के दौरे की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की ओर से प्रोत्साहन वितरण व आमसभा में कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटा सरस डेयरी चेयरमैन चैन सिंह राठौड़ रहे। इस दौरान चेयरमैन राठौड़ ने नमाणा मार्ग के नमाना, गणेशपुरा, सुन्दरपुरा, धुलेपुरा दुग्ध संग्रहण केंद्रों व दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निरक्षण किया व गरडदा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के प्रोत्साहन कार्यक्रम में भाग लिया।

कोटा-बूंदी दूध उत्पादक संघ के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने बूंदी जिले के नमाना मार्ग के दौरे के दौरान आमसभा में भाग लिया।

- सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठायें पशुपालक-राठौड़
- निशुल्क बीज, कुट्टी की मशीन, उच्च नस्ल के पशुधन से लाभान्वित होगी समिति-चैन सिंह राठौड़

सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना-मुख्य अतिथ अध्यक्ष चैनसिंह राठौड़ ने पशुपालकों को राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना'' से किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान प्राप्त करने की अपील की। उन्होने बताया कि योजना के तहत किसानों को एक लाख रुपये तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष की होगी। योजना का उद्देश्य-गोपालक किसान परिवारों को अक्सर गाय, भैंस के लिए शेड, खेली निर्माण और चारा-बांट सहित आवश्यक उपकरण खरीदने में पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। इस कारण वे गोपालन से मिलने वाले पूरे लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते। इसे ध्यान में रखते हुए, डबल इंजन की सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ऋण का समय पर भुगतान करने पर किसानों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा।

संघ की योजनाओं का लाभ-राठौड़ ने कहा कि संघ राज्य सरकार से अनुदानित कुट्टी मशीने, पशु आहार, पशु चारे हेतु मुफ्त बीज उपलब्ध करवाना हो या नस्ल सुधार हेतु मुर्रा नस्ल का भैंसा व गिर नस्ल का बछड़ा दुग्ध समितियों को अनुदान कर पशुपालको को लाभांवित किया जाएगा। ज्यादा दूध देने वाली समिति को बीएमसी की सौगात भी मिलेगी। स्वागत व अभिन्नदन-निरक्षण के दौरान नमाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सचिव धर्मराज गुर्जर व अध्यक्ष किशन लाल गुर्जर, ग्राम सहकारी समिति सुंदरपुरा पर समिति अध्यक्ष सोजी लाल मीणा, धुलेपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सचिव ओमप्रकाश गुर्जर, सुंदरपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सचिव शकर मालव गणेशपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सचिव पुष्प चंद मीणा ने माला व साफा बधवाकर चेयरमैन राठौड़, का स्वागत अभिनंदन किया।

पारितोषिक वितरण-गरड़दा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का प्रोत्साहन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गरड़दा सरपंच शिवराज गुर्जर व कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मण्डल सदस्य रामेश्वर लोधा रहे।कार्यक्रम के दौरान समिति सदस्यों को सरस घी व स्टील की बाल्टी प्रोत्साहन स्वरूप भेट किए। इस अवसर पर कार्यक्रम में, गरड़दा (महिला) दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव अंजना चितौड़, पलका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सचिव रामलाल, गरड़दा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सचिव शुभम चितौड़, अध्यक्ष दुर्गालाल गुर्जर, डेयरी सुपर वाईजर राजू सिंह मार्ग निरक्षक महावीर सिंह, धन्ना लाल प्रजापत, श्यामा श्रृंगी, आसीन खान मौजूद रहे।

बी.एस.एन.एल. ने शुरू की वाईफाई रोमिंग सुविधा

बून्दी। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने फाइबर ठाहकों के लिए वाईफाई रोमिंग सुविधा प्रारंभ की है। यह सुविधा बीएसएनएल के सभी फाइबर उपभोक्ताओं को फ्री मिलेगी। इस सेवा में यदि कोई भी उपभोक्ता किसी अन्य स्थान पर जाता है, तो भी वह वहां उपलब्ध किसी अन्य ठाहक के वाईफाई राउटर या मॉडम के माध्यम से बीएसएनएल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। उसे स्वत: इंटरनेट सेवा का लाभ मिल सकेगा। बीएसएनएल के उपमहाप्रबंधक जे पी मीना ने बताया कि इस सेवा के लिए सबसे पहले व्यक्ति को बीएसएनएल के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसमें उसे वाईफाई रोमिंग का पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद जब भी उपभोक्ता ऐसे एरिया में होता है, जहां बीएसएनएल के किसी भी ठाहक का वाईफाई उपलब्ध है ।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम रमेश एवं रमेश कुमार मेघवाल से बदलकर नया नाम रमेश कुमार रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-रमेश कुमार पुत्र मोडूलाल 124 न्यू प्रताप आईटीआई स्कूल के पास सरस्वती कालोनी कोटा

आम सूचना

सर्व साधारण को मेरे पक्षकार श्री सुधीर कुमार जैन पुत्र स्व. श्री एच.एल. जैन, निवासी 37/583, छावनी, कोटा की ओर से सूचित किया जाता है कि उनका पुत्र सौरभ जैन उनके कहने में नहीं है और वह अलग निवास व कार्य करता है। यदि कोई भी व्यक्ति उससे किसी भी प्रकार का वित्तीय संव्यवहार करता है, तो उसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी, मेरे पक्षकार की नहीं। मेरे पक्षकार ने सौरभ जैन को अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। सूचित हो।

भवदीय
सतीश कुमार बक्षी
एडवोकेट मो. 9828175874

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2024-25/100797 **लोक सूचना** दि. 22.10.2024

श्री M/S MANISAGAR BIO SCIENCES PVT.LTD. TH.DIR. MR. GOVIND LAL NAGAR पुत्र श्री NAND KISHORE NAGAR जाति DHAKAD निवासी SOOMER, JHALAWAR, RAJASTHAN ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **इंफ्रास्ट्रक्चर व वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	किशनपुरा कैथून, लाडपुरा (कोटा)	M/S MANISAGAR BIO SCIENCES PVT. LTD. SHOP NO. 8, A.P.M.C. MARKET, JADAR STATION, POST JADAR TEH. IDAR, SABAR KANTHA, GJ. 383110 IN KHATEDAR	441/311	8000	0.8
2.	किशनपुरा कैथून, लाडपुरा (कोटा)	M/S MANISAGAR BIO SCIENCES PVT. LTD. SHOP NO. 8, A.P.M.C. MARKET, JADAR STATION, POST JADAR TEH. IDAR, SABAR KANTHA, GJ. 383110 IN KHATEDAR	440/311	5100	0.51
				कुल	1.31

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क ओरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22/10/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

कोटा, (निसं)। अंतर विभागीय समन्वय एवं विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलक्टर डॉ.रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने त्यौहारों के दौरान बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थ न पहुंचें, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पुलिस विभाग के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिऐं। उन्होंने कहा कि जहां भी मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान होती है, वहां कड़ी कार्रवाई की जाऐं। जिला कलक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वर्तमान मौसम के मद्देनजर मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। तापमान में गिरावट न होने के कारण, इन बीमारियों से निपटने के लिए व्यापक सर्वे और बचाव कार्यों पर जोर दिया गया।

चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अन्य संबंधित भवनों की सफाई सुनिश्चित की जाऐं। साथ ही, ज्यादा समस्या वाले वार्डों को चिन्हित कर, उन्हें विभिन्न संस्थाओं द्वारा गोद लेने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। डॉ.गोस्वामी ने उद्योग विभाग को राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिऐं। लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलक्टर ने कहा कि जिन कार्यों का निर्माण पूरा हो चुका है, उनकी गुणवत्ता की जांच उपखंड अधिकारी के मार्गदर्शन में तकनीकी दक्ष टीम द्वारा अनिवार्य रूप से कराई जाऐं। कलक्टर डॉ.गोस्वामी ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उर्वरकों के साथ किसी प्रकार की अनावश्यक अटैचमेंट न दी जाए और विभाग किसानों से सीधा संपर्क में रहे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान तत्परता से किया जा सकें।

'भाजपा नेता का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रुप में मनाया जायेगा'

कोटा, (निसं)। भाजपा से संघनिष्ट व वरिष्ठ भाजपा नेता हरियाणा प्रदेश संगठन प्रभारी डा.सतीश पूनियाँ के जन्मदिवस गुरूवार 24 अक्टूबर पर कोटा शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभिनव पहल से जोड़ने का निर्णय लिया है। गत वर्ष भी जन्मदिन पर सामाजिक सरोकार से जुड़कर महत्वपूर्ण योजना सुकन्या समृद्धि के माध्यम से हजारों परिवार की बेटियों को जोड़ कर राजस्थान में नवाचार व सामाजिक प्रकल्प को नया आयाम दिया था।भाजपा कोटा शहर ज़िला महामंत्री मुकेश विजय ने बताया कि संगठन में माइक्रो मैनेजमेंट की रचना को राजस्थान के साथ हरियाणा में नये आयाम स्थापित करने वालें संघनिष्ट भाजपा नेता का जन्मदिन सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जायेगा। कोटा शहर के सरकारी अस्पताल में 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जन्मी नवजात कन्या का रिकॉर्ड लेकर सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ा जायेगा व प्रथम किश्त शगुन के तौर पर बेटी के कल्याण व उज्जवल भविष्य की कामना हेतु जमा की जायेगी। ज्ञातव्य है कि भाजपा नेता डॉ.सतीश पूनियाँ ने अपील करते हुये कहा है कि मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि मेरे जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अभिनव योजना ''सुकन्या समृद्धि योजना'' के जरिए अपने-अपने क्षेत्र में नवजात कन्याओं के खाते, रक्तदान तथा एक पेड़ मां के नाम जैसे सरोकारों से जुड़कर भी मेरे जन्मदिवस को सार्थक कर सकने को कहा है। इस अवसर पर आयोजित बैठक जिला महामंत्री मुकेश विजय, पूर्व जिला उपाध्यक्ष विशाल जोशी, पार्षद रामबाबू सोनी, जिला मंत्री हरिहर गौतम, शिव गौतम,सुनील पोकरा, वैभव सिंघल, रोहित गर्ग, सुरेन्द्र अग्रवाल, घनश्याम ओझा, अनुपम गुप्ता, रामबाबू गुप्ता, रवि चौधरी, सुमित विजय,गौरव,प्राची शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

- 'कोटा सरकारी अस्पताल में जन्मी बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना से जोडा जायेगा'

500 ड्रोन करेंगे आसमान को रोशन, अद्भुत प्रदर्शन से करेंगे रोमांच पैदा

कोटा, (निसं)। 131वें राष्ट्रीय दशहरा मेला- 2024 के अंतर्गत 26 अक्टूबर को विजयश्री रंगमंच पर शाम 7 बजे ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि कार्यक्रम में 500 ड्रोन आसमान को रोशन करेंगे। जो अद्भुत प्रदर्शन से रोमांच पैदा करेंगे।

यह प्रदर्शन में 5 किलोमीटर दूर से ही 3-डी इमेज दिखाई देगी। शो में रामायण की यशोगाथा का भव्य चित्रण होगा। इस दौरान राम और रावण के युद्ध का सजीव चित्रांकन होगा। उन्होंने बताया कि आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप बॉटलेब डायनामिक्स का 20 सदस्यीय दल कोटा पहुंचकर इस शो को संचालित करेगा। शो में स्वदेशी ड्रोन प्रयुक्त किए जाएंगे। बॉटलैब डायनामिक्स की ओर से 2022 में गणतंत्र दिवस पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान 1 हजार ड्रोन का शो आयोजित किया गया था। वही अभी हाल ही में अनंत अंबानी के विवाह समारोह में भी 5500 ड्रोन उड़ाकर रिकॉर्ड कायम किया है। बोटलैब डायनामिक्स भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी शो कर चुकी है। देशभर में अभी तक 200 से अधिक ड्रोन शो आयोजित किए हैं। शो के दौरान आसमान पर बनाए जाने वाले एनीमेशन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसमान में उड़ते धातु के पक्षी 'ड्रोन' जादू पैदा करते हुए नजर आएंगे। शो के लिए प्रयुक्त ड्रोन को ब्लेज कहा जाता है। ड्रोन को लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी के साथ क्यूरेट करके लाखों रंग संयोजन कर अद्भुत रोमांच पैदा किया जाएगा। ऐसा लगेगा मानो, चांद तारे जमीं पर उतर आए हों।

- 5 किलोमीटर दूर से दिखेगी 3-डी इमेज, रामायण की यशोगाथा का होगा चित्रण

कार्यालय (वि0) नगर निगम कोटा दक्षिण (राज0)

क्रमांक :- ननिको द./वि0/2024/829 - 837 दिनांक :- 19/10/2024

संशोधित ई-निविदा सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा क्रमांक : ननिको द./वि0/2024/803-811 दिनांक 18.10.2024 को जारी की गई निविदा में संलग्न tech rider अनुसार केवल साउण्ड व लाइट सिस्टम (एलईडी वॉल व कैमरे कार्य को छोडकर) अनुरूप ही दरें प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

अधिशाषी अभियंता (वि0)
नगर निगम कोटा दक्षिण

राज.संवाद/सी/24/6840

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **रमेश चन्द्र** प्रो० ऑफ मैसर्स अम्बिका इंजीनियरिंग वर्क्स, ऑफिस चन्द्रावती होटल के सामने, पटना रोड, झालावड़, राजस्थान-326001 ने Case Reg. No. 14748 धारा 138 एन.आई. अधिनियम थाना राजौरी गार्डन, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **रमेश चन्द्र** मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **रमेश चन्द्र** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि Case Reg. No. 14748 धारा 138 एन.आई. अधिनियम थाना राजौरी गार्डन, दिल्ली के उक्त अभियुक्त **रमेश चन्द्र** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **23.11.2024** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार: श्री करणबीर सिंह
महानगर दण्डाधिकारी (एन.आई. अधिनियम) पश्चिम
कमरा नं. 4, एनेक्सी-I, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/14029/WD/24

नगर निगम, कोटा दक्षिण-उत्तर

131 वां राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा

श्री राम कथा की पूर्णाहुति
(पूज्य पंडित विजय शंकर मेहता जी के श्रीमुख से)
प्रात: 10:30 बजे से | श्री राम रंगमंच

लाइट एंड साउण्ड शो
रात्रि 7:00 बजे

भोजपुरी धमाल
(प्रस्तुतकर्ता: अरविन्द अकेला कलुआ)
रात्रि 8:30 बजे

23 अक्टूबर 2024, बुधवार | विजयश्री रंगमंच, दशहरा मैदान, कोटा

गरिमामयी उपस्थिति
श्री रोहिताश्व सिंह तोमर
जिला कलेक्टर, बारां

प्रायोजक: कोटा विकास प्राधिकरण

आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं

विनीत : विवेक राजवंशी, अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य, मेला समिति
नगर निगम दक्षिण-उत्तर परिवार

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3920 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 21.10.24

आवास संख्या 3-के-23 तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती चन्द्रावती देवी पत्नी श्री जोगेश्वर प्रसाद को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्रीमती चन्द्रावती देवी पत्नी श्री जोगेश्वर प्रसाद द्वारा दिनांक 11.03.1998 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती चन्द्रावती देवी पत्नी श्री जोगेश्वर प्रसाद की मृत्यु दिनांक 20.01.2023 को हो चुकी है। श्रीमती चन्द्रावती देवी पत्नी श्री जोगेश्वर प्रसाद द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 10.12.2020 को इनके छोटे पुत्र श्री विजेन्द्र प्रताप के पक्ष में आलेखित की गई। श्री विजेन्द्र प्रताप पुत्र स्व. श्री जोगेश्वर प्रसाद द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-के-23 तलवण्डी कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री विजेन्द्र प्रताप पुत्र स्व. श्री जोगेश्वर प्रसाद के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विजेन्द्र प्रताप पुत्र स्व. श्री जोगेश्वर प्रसाद के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विजेन्द्र प्रताप पुत्र स्व. श्री जोगेश्वर प्रसाद के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3776 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 09.10.24

आवास संख्या 1-ई-2 तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री कन्हैयालाल राठौर पुत्र श्री पोखरी लाल को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री कन्हैयालाल राठौर पुत्र श्री पोखरी लाल द्वारा दिनांक 25.09.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री कन्हैयालाल राठौर पुत्र श्री पोखरी लाल की मृत्यु दिनांक 14.01.2021 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती रेखा राठौर पुत्री स्व. श्री कन्हैयालाल राठौर पत्नी श्री पुष्पचंद राठौर, श्री राजेन्द्र राठौर पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल राठौर, श्रीमती किरण राठौर पुत्री स्व. श्री कन्हैयालाल राठौर पत्नी श्री मुकेश राठौर एवं श्री योगेश राठौर पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल राठौर द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 23.09.2021 को श्रीमती किशन कंवर पत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल राठौर के पक्ष में किया गया। श्रीमती किशन कंवर पत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल राठौर द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ई-2 तलवण्डी कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्रीमती किशन कंवर पत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल राठौर के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती किशन कंवर पत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल राठौर के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती किशन कंवर पत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल राठौर के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/3387 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक:-22.10.24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती संगीता अग्निहोत्री पत्नी श्री रोहित अग्निहोत्री निवासी रावतभाटा ने इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन मय शपथ पत्र एवं वांछित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित छायाप्रतियों को ऑनलाईन अपलोड कर नगर पालिका रावतभाटा की श्रीगणेश नगर आवासीय योजना के भूखंड संख्या 645 श्रेणी (अ) साईज 25x50 क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट अर्थात 116.17 वर्गमीटर का नामान्तरण/हस्तान्तरण अपने नाम पालिका रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

प्रस्तुत/ऑनलाईन अपलोड दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखंड पालिका द्वारा लाटरी दिनांक 31.12.2007 अन्तर्गत श्रीमती हजारी बाई पत्नी श्री बिरधीलाल निवासी कोटा को आवंटित किया गया था। जिसकी 99 वर्षीय लीज डीड इस आवंटी के पक्ष में क्रमांक 799 दिनांक 17.04.2008 व पंजीयन दिनांक 24.03.2015 से जारी की गई। इसके उपरांत आवंटी श्रीमती हजारी बाई का देहान्त दिनांक 28.03.2018 को हो जाने के उपरांत इनके नैसर्गिक उत्तराधिकारी/वारिसान द्वारा श्री रामकिशन पिता श्री बिरधीलाल निवासी कोटा के पक्ष में अपना हक जरिये पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 31.07.2013 से किया गया, जिसका नामान्तरण ऑनलाईन पालिका रिकार्ड में स्वीकृति पत्रांक 69546 दिनांक 22.04.2024 से दर्ज किया गया। जिसके उपरांत इस नामान्तरिती ने पालिका से विक्रय अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 02.09.2024 से आवेदक श्रीमती संगीता अग्निहोत्री पत्नी श्री रोहित अग्निहोत्री निवासी रावतभाटा को हस्तान्तरित किया गया है। जिसके आधार पर आवेदक के नाम भूखंड का नामान्तरण/हस्तान्तरण नियमानुसार दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

अत: उक्त भूखंड का नामान्तरण पालिका रिकार्ड में आवेदक के नाम दर्ज करने पर किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति/उजर हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति/उजरदारी प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/3390 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक:-22.10.24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सुनीता मिल्टन पत्नी श्री अनुराग स्टेनली किडर निवासी रावतभाटा ने इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन मय शपथ पत्र एवं वांछित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित छायाप्रतियों को ऑनलाईन अपलोड कर नगर पालिका रावतभाटा की श्रीगणेश नगर आवासीय योजना के भूखंड संख्या 110 श्रेणी (अ) साईज 25x50 क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट अर्थात 116.17 वर्गमीटर का नामान्तरण/हस्तान्तरण अपने नाम पालिका रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

प्रस्तुत/ऑनलाईन अपलोड दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखंड पालिका द्वारा लाटरी दिनांक 31.12.2007 अन्तर्गत श्री मुकेश वर्मा पिता श्री लालचन्द वर्मा निवासी कोटा को आवंटित किया गया था। जिसकी 99 वर्षीय लीज डीड इस आवंटी के पक्ष में क्रमांक 710 दिनांक 17.04.2008 व